




उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या -03...../2017

गोपाल ओहदार बनाम् राज्य

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख |
|----------------------------------|--|---|
| <p>17.03.2017 18.03.2017</p> | <p>आवेदक गोपाल ओहदार पिता स्व० माधो ओहदार निवास ग्राम- चेटर, पो०- गोसा, थाना- रामगढ़, जिला- रामगढ़ द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अन्तर्गत ग्राम - चेटर, थाना नं०- 89, थाना- रामगढ़ अन्तर्गत खाता नं०- 33, प्लॉट नं०- 416, कुल रकबा 0.35 एकड़ मध्ये रकबा 0.02 एकड़ भूमि को महामहीम राज्यपाल झारखण्ड सरकार, राँची के नाम से दान पत्र अनुमति हेतु आवेदन दायर किया गया है। प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई हेतु अभिलेख दिनांक01/04/2017 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">  18/3/17 उपायुक्त, रामगढ़। </p> | <p style="text-align: right;">  23/5/22 </p> |
| <p>01/04/2017</p> | <p>पी० पदा० अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक 26/04/2017 को रखें।</p> | |
| <p>26/04/2017</p> | <p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक - अनुपस्थित दिनांक 24/05/2017 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">  26/4/17 </p> | |

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तालिका

06/07/2018

आवेदक - अनुपस्थित
पी०पदा० अन्य कार्य में व्यस्त।
दिनांक 11.07.2018 को रखें।

11/07/2018

आवेदक - अनुपस्थित
पी०पदा० अन्य कार्य में व्यस्त।
दिनांक 13/07/2018 को रखें।

प्रतिपाद

13/07/18

आवेदक - अनुपस्थित
पी०पदा० अन्य कार्य में व्यस्त।
दिनांक 18/07/2018 को रखें।

प्रतिपाद

18/07/2018

आवेदक - अनुपस्थित
भाड़ेवा हेतु रखें।

प्रतिपाद

18/07/18

-: आदेश :-

आवेदक पिछले कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वाद की निस्तार हेतु इनकी रुचि नहीं रह गई है। फलतः आवेदक का वाद के प्रति उदासिनता को देखते हुए प्रवृष्टि के बिन्दु पर ही आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बंद की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

उपायुक्त,
गमगाट।

18/7/18